राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

क्रमांकः—बीकेजेड / 2522:52 / ले.आ.प्लान / 2024 / हनुमानगढ़ / दिनांकः—

आयुक्त,
नगर परिषद, हनुमानगढ़।

विषयः—चक नं. 3 एनडब्ल्यूएन प.नं. 123 / 244, 124 / 244, 123 / 245 एवं 124 / 245 कुल किता 04 कुल रकबा 557445.18 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान के संबंध में तकनीकी राय बाबत्।

संदर्भः—आपका पत्रांक राजकाज रेफ. 7607779 दिनांक 27.05.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा चक नं. 3 एनडब्ल्यूएन प.नं. 123 / 244, 124 / 244, 123 / 245 एवं 124 / 245 कुल किता 04 कुल रकबा 557445.18 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान के संबंध में तकनीकी राय बावत् प्रकरण कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का भू—उपयोग मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान अनुसार खुदरा व्यापार एवं सामान्य वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रावधानित है। आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उत्तर दिशा में श्रीगंगानगर—अबोहर सड़क से प्राप्त हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार श्रीगंगानगर मास्टर प्लान में 150 फीट चौड़ा प्रावधानित है। योजना के मध्य मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क स्थित है तथा योजना सीमा से पूर्व दिशा में 80 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई है।

प्रकरण में प्रेषित योजना मानचित्र में प्रस्तावित व्यावसायिक भूखण्डों के अग्र भाग में पार्किंग एवं पाथ अलग से दर्शाते हुए योजना का कुल क्षेत्रफल 557445.18 वर्गफीट है, जिसमें आवश्यक संशोधन उपरान्त वाणिज्यिक भूखण्डों का क्षेत्रफल 253665.31 वर्गफीट (45.51 प्रतिशत), इनफॉर्मल सैक्टर का क्षेत्रफल 11247.83 वर्गफीट (02.02 प्रतिशत), कॉमन पार्किंग का क्षेत्रफल 25794.95 वर्गफीट {04.63 प्रतिशत (वाणिज्यिक भूखण्डों के क्षेत्रफल का 10.16 प्रतिशत)}, पार्क का क्षेत्रफल 27945.92 वर्गफीट (05.01 प्रतिशत), सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल 27912.56 (05.00 प्रतिशत) एवं सडकों, पार्किंग व पाथ का क्षेत्रफल 210878.61 वर्गफीट (37.83 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है। उक्त योजना मानचित्र परिषद के कनिष्ठ अभियंता, सहायक नगर नियोजक, अधिशाषी अभियंता, आयुक्त एवं सभापति द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित है।

अतः प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा 'ए' से 'डी' के अन्तर्गत कुल भूमि 557445.18 वर्गफीट रुपान्तरण योग्य भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले—आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा की जाती हैः—

1. प्रकरण में भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कोई कार्यवाही वांछित है तो उक्त कार्यवाही के पश्चात् ही योजना कियान्नवन की कार्यवाही की जावे।
2. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया हैं। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अधिसूचना / आदेश / परिपत्र / दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
3. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उत्तर दिशा में श्रीगंगानगर—अबोहर सड़क से प्राप्त हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार श्रीगंगानगर मास्टर प्लान में 150 फीट चौड़ा प्रावधानित है। योजना के मध्य मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क स्थित है तथा योजना सीमा से पूर्व दिशा में 80 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई है, जिसे योजना में यथावत् कायम किया जाना होगा, जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।

RajKaj Rof
7801197

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]esh Matwa
Designation: Seni[illegible] Town Planner
Date: 2024.06.05 [illegible]:34:45 IST
Reason: Appro[illegible]

सम्पर्क – भूखण्ड सं. 01, गाँधीनगर, लालगढ, बीकानेर – [illegible], [illegible]
ई–मेल आईडी – townplanningbikaner@red[illegible]m

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

4. योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर सैटबैक टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार (विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020) एवं भवन विनियम 2020 के अनुसार पुनः निर्धारित किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
5. अनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का निस्तारण टाऊनशिप पॉलिसी–2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य मे विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों अनुसार किया जावेगा।
6. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
7. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
8. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशीप पालिसी 2010 के प्रावधानो के अनुसार किया जावें।
9. आवेदित भूमि के मध्य यदि कोई विद्युत लाईन स्थित हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा विभागीय आदेश दिनांक 17.06.2022 के प्रावधानानुसार आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाये अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
10. आवेदित क्षेत्र मे से यदि सिंचित खाला है तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुऐ सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होगे तथा योजना क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का निर्माण है तो उसे हटाया जाना होगा, जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
11. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 7.02 अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फास्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण सुविधा क्षेत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।
12. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नही है, की सुनिश्चिता निकाय द्वारा की जावे।
13. भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य न्यायिक वाद–विवाद व भू–स्वामित्व की जाँच, आवेदित भूमि किसी प्रतिबंधित भूमि का भाग, प्रकरण हेतु प्राप्त कोई आपत्ति आदि की निकाय स्तर पर सुनिश्चितता की जानी होगी।
14. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावें एवं यदि इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र व खसरा ट्रेस के अनुसार योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावें।

उक्त राय निकाय से प्राप्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रदान की गई है।

सलंग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र की दो प्रतियॉ

भवदीय,

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

RajKaj Ref
7801197

Signature valid
Digitally signed by R...esh Matwa
Designation: Senior Town Planner
Date: 2024.0.05 ..:34:45 IST
Reason: Appro...

सम्पर्क – भूखण्ड सं. 01, गॉधीनगर, लालगढ, बीकानेर – 334001, ...
ई–मेल आईडी – townplanningbikaner@rediffmail.com

बेटी बचाओ बेटी पढाओ

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगरपरिषद हनुमानगढ़ – राजस्थान

क्रमांकः– एफ.8(भूमि) ( ) 2025/3948 दिनांक 27/8/2024

–: ले–आउट प्लान कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण :–

नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3 (90)न0वि0वि0/3/2012 जयपुर दिनांक 21.06.2012 के द्वारा गठित ले–आउट प्लान कमेटी के आदेश के क्रम में गठित ले–आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 27-8-24 को आयोजित की गई जिसमें सभापति महोदय द्वारा कमेटी की अध्यक्षता की गई जिसमें निम्न प्रकार से सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र.स	नाम	पद नाम	विशेष विवरण
1	सुरेन्द्र सिंह यादव	आयुक्त, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
2	अजय कुमार शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
4	वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, बीकानेर		सदस्य–अनुपस्थित
5	निखिल नैहरा	सहायक नगर नियोजक, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
6	धीरज कुमार	कनिष्ठ अभिन्ता, नगरपरिषद हनुमानगढ	सदस्य
7	अमित महेश्वरी	विधि सहालाकार, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
8	गंगाराम	राजस्व निरीक्षक, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य सचिव

ले–आउट प्लान कमेटी के समक्ष निम्न प्रकार से ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गयेः–

बिन्दु संख्या 01 :– चक नं. 3 एनडब्ल्यूएन पत्थर नं. 123/244, 124/244, 123/245 एवं 124/245 कुल किता 04 कुल रकबा 557445.18 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श :– ले–आउट प्लान कमेटी के समक्ष चक नं. 3 एनडब्ल्यूएन पत्थर नं. 123/244, 124/244, 123/245 एवं 124/245 कुल किता 04 कुल रकबा 557445.18 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र का ले–आउट प्लान अनुमोदन की पत्रावली प्रस्तुत की गई। प्राधिकृत अधिकारी नगरपरिषद द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में ले–आउट प्लान की तकनिकी जांच हेतु श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजक विभाग, बीकानेर को अपने पत्रांक 7607779 (राजकाज) दिनांक 27.05.2024 के द्वारा तकनिकी राय मांगी गई जिस पर श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन बीकानेर के पत्रांक 7801197 (राजकाज) दिनांक 05.08.2024 द्वारा तकनिकी अनुमोदन किया गया है। प्रश्नगत स्थल का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन निम्न शर्तो के साथ परिषद स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा की जाती है :–

1. प्रकरण में भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कोई कार्यवाही वांछित है तो उक्त कार्यवाही के पश्चात ही योजना क्रियान्नवन की कार्यवाही की जावें।
2. प्रकरण का परीक्षण राजरथान टाउनशिप पॉलिसी–2010 तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग उत्तर दिशा में श्रीगंगानगर–अबोहर सडक से प्राप्त हो रहा है जिसका मार्गाधिकार श्रीगंगानगर मास्टर प्लान में 150 फीट चौडा प्रावधानित है। योजना के मध्य मास्टर प्लान की 100 फीट चौडी सडक स्थित है तथा योजना सीमा से पूर्व दिशा में 80 फीट चौडी सडक दर्शाई गई है जिसे योजना में यथावत् कायम किया जाना होगा, जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
4. योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर सैटबैक टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार (विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020) एवं भवन विनियम 2020 के अनुसार पुनः निर्धारित किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
5. टनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का निस्तारण टाउनशिप पॉलिसी– 2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों अनुसार किया जावेंगा।
6. भवन विनियम के अनुसार सडक पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जायें।
7. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डो पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
8. योजना में स्वीकृत इनफॉमल सेक्टर के भूखण्डों का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया जावें।
9. आवेदित भूमि के मध्य यदि कोई विद्युत लाईन स्थित हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा विभागीय आदेश दिनांक 17.06.2022 के प्रावधानानुसार आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाये अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकास स्तर पर अपेक्षित है।
10. आवेदित क्षेत्र में से यदि सिंचित खाला है तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होगे तथा योजना क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का निर्माण है तो उसे हटाया जाना होगा।

11. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 7.02 अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फारस्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण सुविधा क्षेत्र/पार्क में किया जाना अनिवार्य होगा।
12. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नही है की सुनिश्चिता स्थानीय निकाय द्वारा की जावें।
13. भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य न्यायिक वाद–विवाद व भू–स्वामित्व की जॉच, आवेदित भूमि किसी प्रतिबंधित भूमि का भाग, प्रकरण हेतु प्राप्त कोई आपत्ति आदि की निकाय स्तर पर सुनिश्चितता की जानी होगी।
14. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावें एवं यदि इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र व खसरा ट्रेस के अनुसार योजना सीमा का मौके पर मिलान नही हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति को स्वतः निरस्त समझा जावें।

निर्णय :–ले–आउट प्लान कमेटी द्वारा सर्व सम्मति से चक नं. 3 एनडब्ल्यूएन पत्थर नं. 123/244, 124/244, 123/245 एवं 124/245 कुल किता 04 कुल रकबा 557445.18 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान मानचित्र का ले–आउट प्लान अनुमोदन में श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर द्वारा निर्धारित शर्तो के आधार पर अनुमोदित किया जाता है।

राजस्व निरीक्षक एवं सदस्य सचिव
नगरपरिषद हनुमानगढ़

विधि सलाहकार एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ

कनिष्ठ अभियन्ता एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

सहायक नगर नियोजक एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ

अधिशाषी अभियंता एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़

सभापति
नगरपरिषद हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांकः एफ.8 / भूमि( ) / 2025–26 / 3130 दिनांकः– 08/1/2026

–:कार्यालय आदेश:–

नगरपरिषद, हनुमानगढ द्वारा चक नं. 03 N.W.N. पत्थर नं. 133 / 242, मुरब्बा नं. 56, किला नं. 16 / 5(.1176), 17(.253), 24(.253), 25 / 1(.228) स्थित गणेश विहार द्वितीय, वाणिज्यिक योजना हनुमानगढ जंक्शन प्रस्तावित है। उक्त क्रम में योजना में टाउनशीप पोलिसी अनुसार मूलभूत सुविधायें यथा सड़कें, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज, वाटर हार्वेस्टिंग का विकास निर्धारित समय सीमा में किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त क्रम में नगरपरिषद के उत्तरदायी अधिकारियों / कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि अनुसार मूलभूत सुविधाओं का विकास कार्य दिनांक– 26.08.2025 से 26.08.2028 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़

क्रमांक : 3131 – 3134 दिनांक : 08/1/2026

प्रतिलिपि : वास्ते सूचनार्थ :–

1. श्रीमान प्रशासक महोदय, नगरपरिषद हनुमानगढ़।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपरिषद हनुमानगढ़।
3. सहायक नगर नियोजक, नगरपरिषद हनुमानगढ़।
4. प्रभारी, भूमि शाखा, नगरपरिषद हनुमानगढ़।

आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़

1. सैटबेक मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार रखे जावें।
2. एच.टी. लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावें।
3. भूमि के मौके पर माप, भू-स्वामित्व एवं न्यायिक वाद की जांच निकाय स्तर पर की जानी होगी।
4. समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र निकाय में निहित होयें।
5. सुविधा क्षेत्रों का निस्तारण/क्रियान्वयन राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार किया जावें।
6. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व मौके पर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. स्वीकृत योजना में भूखण्ड संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किया जावें।

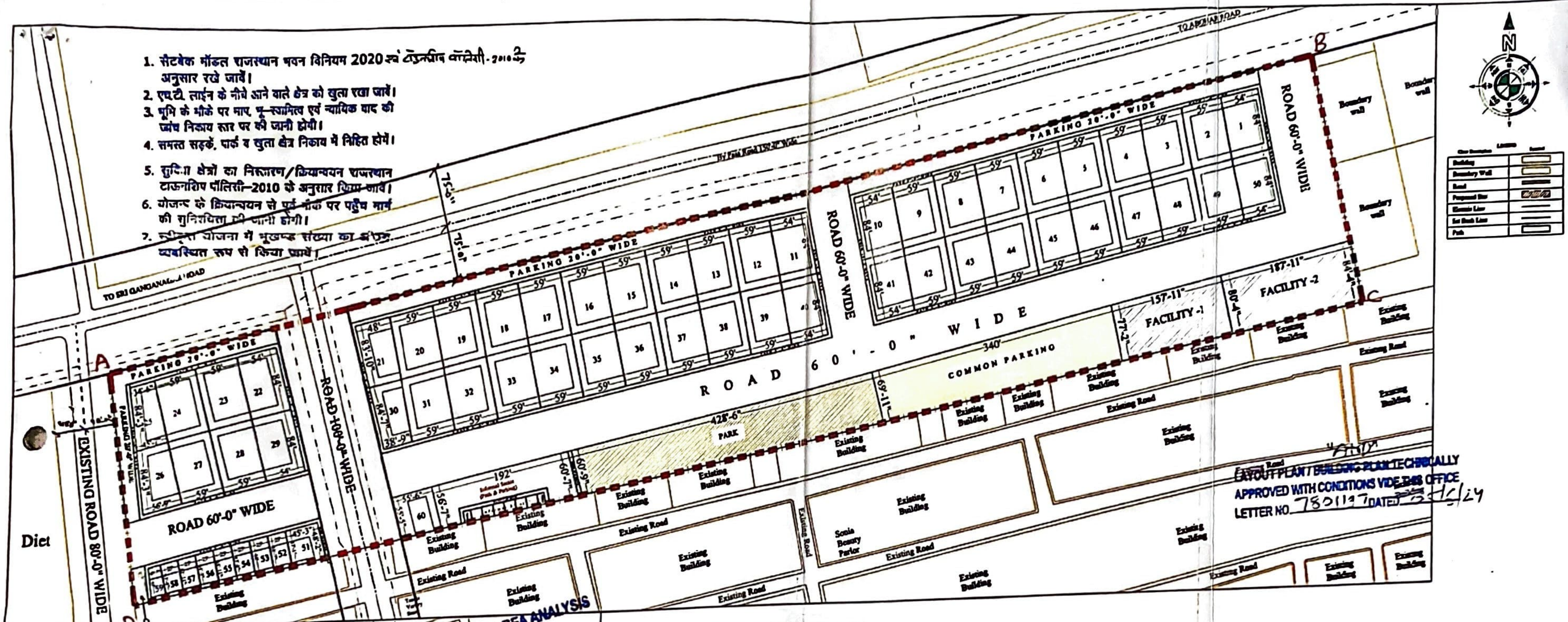

"APPD"
LAYOUT PLAN / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE
LETTER NO. 7801127 DATED 3/1/24

LAND USE & AREA ANALYSIS CHECKED BY.

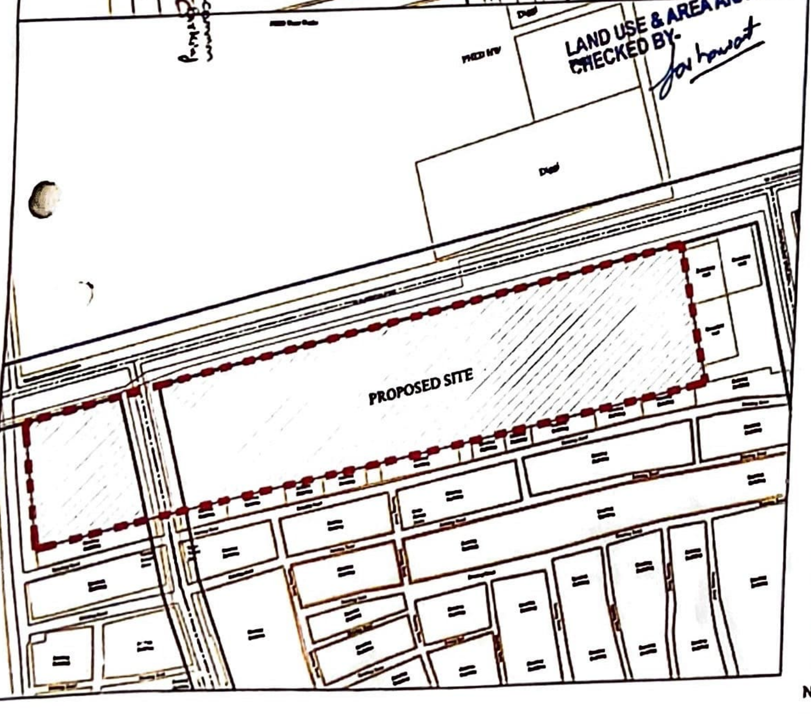

LAND USES OF SCHEME :-			
S.No.	LAND USED	AREA IN (SQFT)	(%)
1	Commercial	253665.31	45.51
2	Informal Sector	11247.83	02.02
3	Common Parking	25734.95 (10-16% OF COMMERCIAL AREA)	04.63
4	Facility	27912.56	05.00
5	Park	27915.92	05.01
6	Roads & Path, Parking	210878.61	37.83
	TOTAL AREA	557415.18	100.00

SCHEDULE OF PLOTS

S.No.	Plot Size
1	54'x84'
2	59'x84'
3	48'x83'-10"
4	38'-9"x84'-7"
5	46'-5"x45'-5"
6	17'-7"x43'-0"
7	25'x46'-7"
8	25'x46'
9	25'x45'-6"
10	25'x44'-11"
11	25'x46'-5"
12	25'x45'-11"
13	25'x[illegible]
14	35'-6"x[illegible]-5"
15	56'-9"x84'-[illegible]
16	55'-6"x55'-5"
	Total Plots

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर परिषद् हनुमानगढ़

(ओम प्रकाश चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

सहायक नगर नियोजक
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

आयुक्त
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

अधिशाषी अभियन्ता
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

सभापति
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

Setbacks (In mt.)					
S.N.	PLOT NO	FRONT	SIDE1	SIDE2	REAR
1	1-20, 23-24, 27-28, 31-50, 60	6.0	3.0	—	3.0
2	21-22, 25-26, 29-30	6.0	6.0	—	3.0
3	51	6.0	6.0	—	2.0
4	52-59	6.0	—	—	1.5

Owner's Name:- Municipal Council, Hanumangarh

LAY-OUT PLAN OF COMMERCIAL SCHEME CHAK NO. 3 NWN, STONE NO. 123/244, MURBBA NO. 191/2, STONE NO. 124/244, STONE NO. 123/245 MURBBA NO. 191/2, STONE NO. 124/245, AT HANUMANGARH JN., DISTT:- HANUMANGARH (RAJ.)

Note:- सैटबेक भवन विनियम-2020 एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार रखे जावें।

ENGINEERS POINT
BRANCH OFFICE:-SHOP NO. 62-63, NEAR HEAD POST OFFICE SRIGANGANAGAR ROAD, HANUMANGARH JN.
MOB:-80583-35789, 98676-48560

NOTE :- FRONT SETBACK RELAXATION OF 5' IS PROVIDED WHEREVER 5' WIDE PATH IS PROVIDED IN FRONT OF THE PLOT IN THE SCHEME.